न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज छतराल बनाम कमलेश मु.नं. 42/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र पी.डी. दिनांक 12.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	12.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
42/2024	27.06.2024	12.08.2025

बउनवान

1. बतकाल पुत्र मूल्या सैन, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. सुशीला पुत्री मूल्या सैन पत्नी छुट्टनलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा हाल निवासी गारू, तहसील कठूमर, जिला अलवर।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र बाबूलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. गिर्राज पुत्र बाबूलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. लालाराम पुत्र बाबूलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. मुकेश पुत्र बाबूलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. नानगी पत्नी बाबूलाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. उप–पंजीयक बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री खेमसिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. 183 के खसरा सं. 2716 रकबा 0.40 हैक्टे., 2717 रकबा 0.50 हैक्टे., 2856 रकबा 0.60 हैक्टे. कुल किता 03, कुल रकबा 1.50 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील वैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 एवं वादपत्र में प्रतिवादी सं. 6 लगायत 10 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका अभी तक कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बाहमी बॅटवारे अनुसार विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी बतकाल का 1/8 व 1/4 तथा प्रार्थिया सुशीला का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मौजूद है तथा जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण बाहमी बंटवारे अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 एवं वादपत्र के प्रतिवादी सं. 6 लगायत 10 की सम्मिलित खातेदारी भूमि है। विवादग्रस्त भूमि का विधिवत सरस निरस के अनुसार मौके पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बांट रखा है और अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं लेकिन भूमि का तकास्मा नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कम-ज्यादा भूमि को लेकर समय-समय पर विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 एवं वादपत्र के प्रतिवादी सं. 6 लगायत 10 बिना तकास्मा कराये ही भूमि को बेचान करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में विवादग्रस्त को कब्जे एवं हिस्सेनुसार विवादित आराजीयात का अलग खाता कायम किया जाकर पास बुकें जारी की जावे। दिनांक 24.06.2024 को प्रार्थीगण अपनी आराजी की आगामी फसल बाजरा की बुवाई के लिये सूड करने व साफ-सफाई करने के लिये गये थे तो वहाँ पर पहले से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 मौजूद थे। उनके साथ अन्य लोग फीता लेकर नापा तौली कर रहे थे। प्रार्थीगण ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 ने कहा कि हम हमारी जमीन को दीगर लोगों को बेचान कर रहे हैं और एक दो दिन में रजिस्ट्री करवा देगें। यह खेत हमारा, तुम्हारे हिस्से में दूसरा खेत आता है, तुम्हारा इस खेत से कोई लेना देना नही है। खरीददार (क्रेता) ने हमको इसी खेत का पैसा दिया है, हम इस खेत को बेचान करके रहेगें। तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 से कहा कि अभी तो इस जमीन का तकास्मा भी नही हुआ है। इस खेत में हम पहले से ही काश्त करते चले आ रहे हैं, पहले से हमारे हिस्से में चला आ रहा है। इसी अनुसार तहसील में चलकर तकास्मा करवा लेते हैं, उसके बाद आप चाहें जिसको बेचान कर सकते हो तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 एकदम से नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि हम इसी खेत को बेचेगें और अच्छी कीमत प्राप्त करेगें, अगर तूने ज्यादा कानून लगाया तो तुझे इस जमीन से ही बेदखल कर तेरे हिस्से की जमीन को भी हडप लेगें, तू हमारा कुछ नही कर सकता। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 एवं उनके सहयोगी लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और तकास्मा कराने से साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी कि हम किसी लठ्ठ वाले व्यक्ति को बेचान कर देगें। अप्रार्थीगण की उक्त धमकियों से प्रार्थीगण भयभीत है और उसको अपने हिस्से की जमीन खो देने का डर सता रहा है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त नापाक धमकियों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। विनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2024 को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 द्वारा विवादग्रस्त आराजी बिना तकास्मा कराये जबरन अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने से तथा कानूनी तकास्मा के लिये साफ इन्कार करने से मुकाम ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में पैदा हुई है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे एवं हिस्से की आराजी का रहन बेचान कर कर देगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो इन्हें किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। अतः अर्ज है कि दौराने दावा, अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात खसरा सं. 2716, 2717, 2856 में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत पैदा नही करें एवं प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक फसल काश्त करने व भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, रहन, बेचान नही करें। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

2. प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 27.06.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 2716, 2717, 2856 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –
(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या
(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।
तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।
(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजीयात में प्रार्थी सं. 1 व 2 क्रमशः 3/8 व 1/8 हिस्से के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। विवादित आराजीयात का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 183 के खसरा सं. 2716, 2717, 2856 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.06.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)